कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर ग्रेटर जयपुर

क्रमांकः एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./20/4755 दिनांक 6/11/2020

श्री अशोक गुप्ता,
पुत्र श्री शिव लाल गुप्ता,
निवासी प्लाट नः 54, तरूछाया नगर,
टोक रोड जयपुर।

विषयः— सैक्टर 12, महावीर मार्ग, मानसरोवर जयपुर में निर्मित आईएसआईएम कॉलेज की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीं बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित स्थल सैक्टर 12, महावीर मार्ग, मानसरोवर जयपुर में निर्मित इन्टरनेशनल स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स एण्ड मैनेजमेंट (आईएसआईएम) की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया है। अतः स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्रीमति उषा शर्मा सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी स्थिति निम्न प्रकार हैः—

निर्माण की स्थितिः—

1. वर्तमान में स्थल पर एम ब्लॉक में ही शैक्षणिक गतिविधिया चल रही है।
2. वर्तमान में बेसमेन्ट, ग्राउण्ड, प्रथम व द्वितीय व तृतीय फ्लोर तक भवन निर्मित है।
3. स्थल पर आने जाने के लिये दो तरफ से मेन गेट है व फायर वाहन आ जा सकता है।

अग्निशमन यन्त्रों की स्थितिः—

1. स्थल पर बेसमेन्ट से तृतीय फ्लोर तक दोनो तरफ से अलग—अलग हाईड्रेन्ट शॉफ्ट मय होज बोक्स होज पाईप व नोजल, होजरील होज लगी हुई है।
2. स्थल पर बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर लगे है बेसमेन्ट से टेरस पर जाने के लिये चार तरफ से अलग—अलग सिढ़ियॉ है।
3. स्थल पर प्रत्येक फ्लोर पर फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी हूटर लगे है।
4. स्थल पर ग्राउण्ड फ्लोर पर यार्ड हाईड्रेन्ट शॉफ्ट मय होज बोक्स होज पाईप व नोजल व होजरील होज लगी है।
5. ग्राउण्ड फ्लोर पर टू वे क्लेक्टिग हैड व फायर पेनल लगा है।
6. स्थल पर वाटर टेंक छत पर स्थापित है छत पर पम्प लगा है व वाटर टेंक से पम्प को कनेक्ट किया गया है।

वर्तमान में स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरणो व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था मे रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित शैक्षणिक भवन की स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार ही जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है व भविष्य में स्थल पर अग्निशमन उपकरणो की प्रर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। आवेदक को एक वर्ष बाद स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपायोग नही किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

1. पानी के टैक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये प्रर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरिक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एव्म इस बाबत् आवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
7. भवन में पार्किग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम् उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

उपायुक्त (फायर)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
उपायुक्त (फायर)
नगर निगम, जयपुर

destop /New folder/ big latter May 15/ page no 910